महादलितों को दी गयी जमीन पर दखल-कब्जा दिलाएं : आयुक्त

प्रमंडलीय आयुक्त ने सुनीं लोगों की समस्याएं

संवाददाता, पटना

महादलितों की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त डॉ एन विजयलक्ष्मी ने दानापुर के एसडीओ को फोन कर सरकार द्वारा दी गयी जमीन पर दाखिल कब्जा कराने का निर्देश दिया. जनता दरबार में बिहटा प्रखंड के विश्वंभरपुर से आये संतोष कुमार ने बताया कि सरकार से मिली जमीन पर स्थानीय लोगों द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है. दानापुर के शेरपुर से आये चंदेश्वर चौधरी ने बताया कि जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने से घर बनाना मुश्किल हो रहा है. प्रमंडलीय आयुक्त ने फोन पर एसडीओ दानापुर को दाखिल कब्जा कराने का निर्देश दिया. भभुआ जिले के मोहनिया बल पर के सहदेव साह ने पुश्तैनी जमीन पर पड़ोसियों द्वारा कब्जा करने की शिकायत की.

जनता दरबार में समस्याओं को सुनतीं प्रमंडलीय आयुक्त डॉ एन विजयलक्ष्मी.

प्रमंडलीय आयुक्त ने जब पूरी जानकारी ली, तो पता चला कि कोर्ट में टाइटिल सूट चल रहा है. इसका निष्पादन कोर्ट से होगा.

सेवा समाप्ति का आरोप : बाढ़ में कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका मिंटू देवी ने बताया कि पारिवारिक विवाद के कारण निराधार आरोप लगा कर उनकी सेवा समाप्त करा दी गयी. उन्हें नये सिरे से स्वीकृत केंद्र पर संभावित रिक्ति के विरुद्ध आवेदन करने का सुझाव दिया गया. फतुहा की सूपनचक डुमरी के मधुसूदन सिंह ने जिला निबंधन कार्यालय में राशि जमा करने के बावजूद अभिलेख नहीं मिलने की शिकायत की. उनसे दोबारा 800 रुपये जमा करने के लिए कहा जा रहा है. प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला अवर निबंधक से फोन पर बात कर जिम्मेवार कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मामले का निष्पादन करने के लिए कहा गया.

बस परिचालन बंद : आलमगंज से गायघाट जानेवाली बस का परिचालन बंद होने की शिकायत उमेश प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में आये सिटी बस ऑपरेटर्स ने किया. श्री सिन्हा ने कहा कि इस मामले में स्थानीय थाना से मदद नहीं मिल रही है. यात्रियों के साथ बस ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा है. पटना सिटी के एसडीओ से बैठक कर मामले का समुचित हल निकालने का निर्देश दिया गया.

फुलवारीशरीफ के जगनपुरा से आये पूर्व सैनिक आरके राय ने बताया कि एक तो उनकी जमीन का सीमांकन नहीं कराया गया व दूसरा नियुक्त प्लीडर द्वारा स्थल पर गये बिना गलत रिपोर्ट दी है. क्षेत्रीय पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई व निष्पादन हेतु कहा गया. जनता दरबार में तीन दर्जन मामले आये. इनके निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया.